भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3039
उत्तर देने की तारीख : 12.03.2020

अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं

3039. श्री बालक नाथः
डॉ॰ मोहम्मद जावेदः
श्री धर्मेन्द्र कश्यपः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सरकार द्वारा चलायी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अलवर जिले सहित राजस्थान में वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही और प्रस्तावित अल्पसंख्यक योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2018 से देश में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कतिपय नई याजेनाएं/नीति आरंभ की है, यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त प्रत्येक योजना के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) से (ग)ः सरकार राजस्थान राज्य सहित देशभर में अल्पसंख्यकों विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और दलितों सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, आदि। मंत्रालय केन्द्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों नामतः बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख समुदायों के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित कर रहा हैः

(1) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना – छात्रों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए।

(2) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना – वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करती है।

(3) नया सवेरा – निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना – योजना का उद्देश्य तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों/विद्यार्थियों के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है।

(4) 'पढ़ो परदेश' – विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता योजना।

(5) नई उड़ान – संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (पीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सहायता।

(6) नई रोशनी – अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना।

(7) सीखो और कमाओ : 14–35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के कौशल विकास की योजना तथा इसका उद्देश्य मौजूदा कामगारों, स्कूल ड्रापआउट्स आदि की रोजगारपरकता में सुधार करना है।

(8) मई, 2018 में पुनर्संरचित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) पूर्व में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के रूप में ज्ञात – शिक्षा, कौशल एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों के लोगों के लाभार्थ कार्यान्वित।

(9) जियो पारसी – भारत में पारसियों की आबादी में हो रही गिरावट को रोकने हेतु योजना।

(10) उस्ताद (विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण) मई, 2015 में शुरू की गई।

(11) नई मंजिलः स्कूल ड्रापआउट्स की औपचारिक स्कूली शिक्षा एवं कौशल प्रदान करने की योजना मई, 2015 में शुरू की गई।

(12) हमारी धरोहर – भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन 2014–15 से भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना।

(13) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) शिक्षा एवं कौशल से संबंधित निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करता हैः– (क) अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी बालिकाओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति 2017–18 में शुरू की गई। (ख) गरीब नवाज रोजगार योजना अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को नौकरी–उन्मुखी अल्पकालिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण देने हेतु 2017–18 में शुरू की गई (ग) नई मंजिल योजना के तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा मदरसा छात्रों और स्कूल ड्रॉपआउट के लिए ब्रिज कोर्स (घ) स्वच्छ विद्यालय।

(14) अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार एवं आय सृजक क्रियाकलापों के लिए रियायती ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी।

उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय राज्य वक्फ बोर्डों को मजबूत करने के लिए भी योजनाएं कार्यान्वित करता है और वार्षिक हज यात्रा की व्यवस्थाओं का समन्वय करता है।

क्रम सं. (1) से (12) पर उल्लिखित योजनाओं का ब्यौरा और उनके कार्यान्वयन की स्थिति इस मंत्रालय की वेबसाइट **(www.minorityaffairs.gov.in)** तथा क्रम सं. (13) और (14) पर उल्लिखित योजनाओं का ब्यौरा क्रमशः एमएईएफ की वेबसाइट **(www.maef.nic.in)** और एनएमडीएफसी की वेबसाइट **(www.nmdfc.org)** पर उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत, राजस्थान में स्वीकृत प्रमुख परियोजनाएं हैंः आंगनवाड़ी केंद्र (14), कॉमन सर्विस सेंटर (08), डिग्री कॉलेज (8), स्वास्थ्य परियोजनाएं (85), छात्रावास (18), आईटीआई (9), आवासीय विद्यालय (2), सद्भाव मंडप (5), नर्सिंग कॉलेज (2), स्कूल भवन (32) इनमें से अलवर जिले में अनुमोदित परियोजनाएं है; डिग्री कॉलेज (4), स्वास्थ्य परियोजनाएं (33), छात्रावास (7) आईटीआई (2), सौभाग्य मंडप (1), नर्सिंग कॉलेज (2) और अतिरिक्त कक्षा–कमरे (760)।

(घ) 2018 से योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आबंटित और जारी/उपयोग की गई निधि का योजनावार विवरण **अनुबंध** में है। बजट में कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

******

अनुबंध

''अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं'' के बारे में श्री बालक नाथ, डॉ॰ मोहम्मद जावेद, श्री धर्मेन्द्र कश्यप द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 12.03.2020 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3039 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2018 से निधि का योजना–वार आवंटन और उपयोग

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2016–17	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2017–18	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2018–19	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2019–20	वास्तविक व्यय (03.03.2020 के अनुसार)
क. 1	**शैक्षिक सशक्तीकरण**								
1	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	931.00	585.94	950.00	1108.13	980.00	1176.19	1220.30	492.18
2	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	550.00	287.11	550.00	479.72	692.00	354.89	496.01	147.68
3	मेरिट–सह–साधन	335.00	220.54	393.54	388.79	522.00	261.17	366.43	135.85
4	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	80.00	119.92	100.00	124.87	153.00	97.85	155.00	100.00
5	विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता।	4.00	4.00	8.00	17.00	24.00	45.00	30.00	9.00
6	निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना	45.00	40.00	48.00	45.59	74.00	44.61	75.00	12.30
7	नई उड़ान योजना	4.00	4.00	4.00	6.18	8.00	6.72	20.00	5.00
क. 2	**आर्थिक सशक्तीकरण**								
8	कौशल विकास पहल	210.00	204.94	250.00	199.80	250.00	175.73	250.00	155.31
9	उस्ताद (हुनर हाट)	20.00	19.77	22.00	21.80	30.00	31.26	50.00	35.62
10	नई मंजिल (8वीं से 10वीं तक कौशल)	155.00	117.97	175.95	93.73	140.00	93.73	140.00	22.25
11	एनएमडीएफसी की इक्विटी	140.00	140.00	170.00	170.00	165.02	165.00	100.00	100.00
क. 3	**सशक्तीकरण के लिए विशेष पहलें**								
12	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास	15.00	14.75	15.00	15.19	15.00	13.83	15.00	3.58
13	छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को नियंत्रित करने की योजना	2.00	1.54	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.46
14	हमारी धरोहर	11.00	6.6	12.00	0.64	6.00	1.64	8.00	0.00
15	अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी, मूल्यांकन और प्रचार	45.00	46.78	50.00	50.04	55.00	52.6	60.00	13.62
ख.	**क्षेत्र विकास कार्यक्रम**								
16	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)	1125.00	1082.78	1200.00	1197.66	1320.00	1156.07	1470.00	1213.23
ग.	**संस्थानों को सहायता**								
17	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	113.00	113.00	113.00	113.00	125.01	36.00	90.00	37.50
18	एनएमडीएफसी की एससीए को सहायता–अनुदान	2.00	1.27	2.00	0.30	2.00	2.00	2.00	1.73
19	कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना	13.00	10.13	13.00	10.58	16.94	11.89	17.50	11.85
20	शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना	3.18	2.8	3.18	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
21	सचिवालय	13.59	16.23	17.66	17.81	19.14	28.16	22.00	21.10
22	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	7.66	7.19	8.41	7.26	8.62	8.92	9.30	8.74
23	आयुक्त, भाषाजात अल्पसंख्यक	2.82	1.89	2.74	1.86	2.32	1.70	2.30	1.84
24	हज सीजीआई जेद्दा	0.00	0.00	78.00	56.72	76.79	73.39	85.00	72.43
	हज सचिवालय	0.00	0.00	7.00	6.48	8.00	7.50	9.00	6.76

******